बिहार सरकार

राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

E-mail ID-sorrcd2012@gmail.com

पत्रांक :— मु0नि0(पथ)—44/2013 अंश—III 46 (अ0मु0) पटना दिनांक :— 11/12/2023

प्रेषक,

अमरनाथ पाठक,
संयोजक
राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति
—सह—अभियंता प्रमुख (मुख्यालय),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

1. **अभियंता प्रमुख,**
ग्रामीण कार्य विभाग—सह—सदस्य राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति, बिहार, पटना।
2. **अभियंता प्रमुख (मुख्यालय),**
जल संसाधन विभाग—सह—सदस्य राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति, बिहार, पटना।
3. **अभियंता प्रमुख,**
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग—सह—सदस्य राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति, बिहार, पटना।
4. **अभियंता प्रमुख,**
तकनीकी परीक्षक कोषांग, निगरानी विभाग—सह—सदस्य राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति, बिहार, पटना।
5. **अभियंता प्रमुख,**
भवन निर्माण विभाग—सह—सदस्य राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति, बिहार, पटना।
6. **अभियंता प्रमुख,**
लघु जल संसाधन विभाग—सह—सदस्य राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति, बिहार, पटना।
7. **मुख्य अभियंता (असैनिक),**
बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड—सह—सदस्य राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति, बिहार, पटना।
8. **मुख्य अभियंता (विद्युत),**
भवन निर्माण विभाग—सह—सदस्य राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति, बिहार, पटना।

अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना — पत्र पंजी — 12 DEC 2023 — संख्या 13555

उप सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना — 12 DEC 2023 — 6328

विषय :— **राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति की दिनांक—01.12.2023 को आहूत बैठक की कार्यवाही की प्रति के प्रेषण के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि दिनांक—01.12.2023 को आहूत राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति की बैठक की कार्यवाही की प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न की जा रही है।

अनु0—यथोक्त।

2794/SOIV
13/12/23

विश्वासभाजन,

11/12/23
(अमरनाथ पाठक)

दिनांक– 01.12.2023 को आहूत राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति, बिहार की बैठक की कार्यवाही में लिए गए निर्णय :–

Goods & Services Tax (GST) की गणना पर निर्णय के संबंध में:–

वाणिज्य कर विभाग, बिहार से जल संसाधन विभाग, बिहार को कार्य विभाग द्वारा संवेदक को किये जाने वाले भुगतान में Goods & Services Tax (GST) की गणना के संबंध में परामर्श प्राप्त हुआ है, जो इस प्रकार है :–

बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 9 (1) के प्रावधानानुसार कर की देयता अधिनियम की धारा 15 के अनुसार निर्धारित मूल्य पर होती है। अधिनियम की धारा 15 के अनुसार किसी माल या सेवाओं की आपूर्ति का मूल्य उसका Transaction Value होगा, जो किसी सप्लायर को आपूर्ति के विरूद्ध वास्तविक रूप से भुगतान किया जाता है। साथ ही इस Transaction Value में जी०एस०टी० अधिनियम के अन्तर्गत देय कर को छोड़कर किसी भी अन्य कानून के अधीन देय कोई Taxes, Duties, Cess, Fees और Charges भी शामिल होंगे, यदि सप्लायर द्वारा इसे पृथक रूप से चार्ज किया गया हो। अर्थात् यदि कार्य विभाग द्वारा संवेदक को किये जाने वाले भुगतान (Transaction Value) में जी०एस०टी० अधिनियम के अन्तर्गत अधिरोपित कर (SGST, CGST, IGST एवं GST Cess) को छोड़कर किसी भी अन्य कानून के अन्तर्गत विहित Taxes, Duties, Cess, Fees और Charges का भुगतान शामिल है, तो वह Transaction Value का भाग होगा एवं Transaction Value पर जी०एस०टी० अधिनियम की धारा– 9 (1) के अन्तर्गत जी०एस०टी० की देयता होगी।

वाणिज्य कर विभाग, बिहार के उक्त परामर्श के आलोक में समिति द्वारा सम्यक विचारोपरांत सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि जल संसाधन विभाग, बिहार अपने स्तर से इसके आलोक में ~~Formate गठित कर~~ वित्त विभाग, बिहार का मंतव्य प्राप्त करें। तदोपरांत राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति को उपस्थापित किया जाय ताकि अंतिम निर्णय लिया जा सके।

बैठक सधन्यवाद समाप्त।

1-12-2023
सदस्य
राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति–सह–अभियंता प्रमुख, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

01/12/23
सदस्य
राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति–सह–अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।

सदस्य
राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति–सह–अभियंता प्रमुख, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना।

1/12/23
सदस्य
राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति–सह–मुख्य अभियंता (असैनिक) बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लि0, बिहार, पटना।

सदस्य
राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति–सह–मुख्य अभियंता, (विद्युत) भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

सदस्य
राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति–सह–अभियंता प्रमुख, तकनीकी परीक्षक कोषांग, निगरानी विभाग, बिहार, पटना।

1/12/23
सदस्य
राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति–सह–अभियंता प्रमुख, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना।

1/12/23
सदस्य
राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति–सह–अभियंता प्रमुख, मुख्यालय जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना।

विशेष आमंत्रित सदस्य
राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति–सह–अभियंता प्रमुख (कार्य प्रबंधन), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

1/12/23
संयोजक
राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति–सह–अभियंता प्रमुख (मुख्यालय), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

बिहार सरकार,
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार, पटना

ज्ञापांकः—14/अ0प्र0—03—54/2018 8201 /पटना, दिनांक 27/12/23

प्रतिलिपिः—सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना/सभी अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग एवं आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

Email/ website

27/12/23
(कुमार अनिल सिन्हा)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांकः—14/अ0प्र0—03—54/2018 8201 /पटना, दिनांक 27/12/23

प्रतिलिपिः—नोडल पदाधिकारी, पी0एम0जी0एस0वाई0/एम0एम0जी0एस0वाई/नाबार्ड, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

27/12/23
सरकार के उप सचिव

8 ये ट